ति के कृत्य :–

7. समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी :–

(1) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उद्देश्यों के ढांचे के भीतर रहते हुए स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों का अभिनिर्धारण करना,
(2) योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करने के लिए ठोस आंकड़ों का आधार सृजित करने हेतु जिले के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से संबंधित जानकारी का संग्रहण, संकलन तथा उन्हें अद्यतन करना और जिले एवं खण्ड के संसाधनों की रूपरेखा तैयार करना,
(3) ग्राम, खण्ड तथा जिला स्तरों पर उपलब्ध सुख–सुविधाओं को सूचीबद्ध करना तथा उनका निरूपण करना,
(4) उपलब्ध प्राकृतिक/मानव संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय सम्मत उपयोग/विदोहन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का अवधारण करना,
(5) पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करते हुए जिले के सामाजिक–आर्थिक, भौतिक, सामयिक तथा स्थान संबंधी आयामों के परिप्रेक्ष्य में जिले की पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना तथा उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करना,
(6) जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना,
(7) जिले की योजना के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन करना,
(8) जिला विकास योजना के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुए क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय परिव्ययों का आवंटन करना,
(9) विकेन्द्रीकृत योजना के ढांचे के अंतर्गत जिले में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों जिनमें केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमें भी सम्मिलित हैं की प्रगति को मानीटर करना, उनका मूल्यांकन करना तथा पुनर्विलोकन करना,
(10) जिला योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों के संबंध में नियमित प्रगति – रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना,
(11) ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण करना जिनमें संस्थागत वित्तपोषण किया जाना अपेक्षित है, उन्हें जिला योजनाओं के साथ समुचित रूप से सम्बद्ध करने के उपाय करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें ऐसा वित्तीय विनिधान अपेक्षित मात्रा में प्राप्त होता रहे,
(12) विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित करना,
(13) जिले के विकास की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली राज्य सेक्टर की स्कीमों के संबध में राज्य सरकार को सुझाव देना,